तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3234/2004/बाडमेर मोमताराम बनाम मंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री दुनीचन्द, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री हंगामीलाल चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.06.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित आदेश एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 20–06–2018 का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वादीगण अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 7 की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र के लम्बित रहते प्रार्थी निगराकार ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3234/2004/बाडमेर मोमताराम बनाम मंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपने पिता प्रतिवादी संख्या–1 नवलाराम के साथ स्वयं को वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है।

अब चूंकि प्रार्थी मोमताराम के पिता नवलाराम प्रतिवादी संख्या–1 का देहान्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी में वर्णित अनुसार हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिक वारिसान होने के आधार पर अन्य वारिसान के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वतः ही लम्बित वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में पक्षकार बन सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष मृतक प्रतिवादी संख्या–1नवलाराम के विधिक वारिस के रूप में पक्षकार संयोजित होने हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगा। विचारण न्यायालय अपने विवेक से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर विधिसम्मत् आदेश पारित करें।

निर्णय प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य